न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	53 / 18	2018 / 00124	01.08.2018	सरकार बनाम सोनू गुप्ता	23.04.2026	1लगायत 5

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 53 / 2018 (2018 / 00124)

उनवान प्रकरण

1. वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर।

आवेदक

बनाम

1. . सोनू गुप्ता पुत्र धन्ना लाल गुप्ता निवासी वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर (फर्म मालिक) मैसर्स सोनू किराना स्टोर गेम मार्केट वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर।
2. बसन्त कुमार पुत्र श्री रामकिशन गैरा निवासी डेम्प रोड हिण्डौन सिटी जिला करौली (फर्म मालिक) मैसर्स फ्रन्टीयर डिस्ट्रीब्यूटर्स चोपड सर्किल के पास हिण्डौन सिटी जिला करौली 322230
3. फुलंदीप सिंह राठौड (नोमिनी) मैसर्स दरियाव लॉजिस्टिक सी/ओ विनायक वेयर हाउसिंग कारर्पोरेशन, झालीपुरा के पास कोटा बांरा रोड ग्राम यसलाना जिला कोटा राज०
4. अकेला श्रीनिवास (नोमिनी) गैसर्स अजमेर फूड प्रोडक्टस प्रा० लि० एफ 62–66 इण्डस्ट्रीयल एरिया पर्वतपुरा अजमेर राज०
5. मैसर्स अजमेर फूड प्रोडक्टस प्रा० लि० एफ 62–66 इण्डस्ट्रीयल एरिया पर्वतपुरा अजमेर राज० (निर्माता फर्म)

अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.05.2016 को समय 3.00 पी.एम. पर मैसर्स– सोनू किराना स्टोर मेन मार्केट वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर पहुंचा वहां पर सोनू गुप्ता पुत्र धन्ना लाल गुप्ता निवासी वजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर (फर्म मालिक) की हैयसियत से उपस्थित था को मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया [illegible] से परिचय लिया, एवं मेरे द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन / खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी [illegible] खाद्य रजिस्ट्रेशन की प्रति मोके पर नहीं होना बताया। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का [illegible] किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ 20–20 Butter Cookies (Parle) 45 ग्राम के [illegible] किट्स दुकान की रैंक में रखे हुए थे के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच [illegible] लेने की सूचना फार्म नं० [illegible] की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्यायनिर्णयन आवेदन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:22:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ 20—20 Butter Cookies (Parle) 45 ग्राम के 20 पैकिट्स वास्ते नमूना जांच हेतु कय कर राशि 100/— रूपयें नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ पदार्थ 20—20 Butter Cookies (Parle) 45 ग्राम के 20 पैकिट्स को 04—04 बराबर भागो मे बाटंकर, मूल ही लेकर प्रत्येक को प्लास्टिक के जारो रखकर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक—एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाईमाधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक एच 946 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता सोनू गुप्ता पुत्र धन्नालाल गुप्ता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता सोनू गुप्ता पुत्र धन्नालाल गुप्ता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नं० 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कैलाश चन्द सैन वाहन चालक कार्यालय हाजा द्वारा खाद्य विश्लेश्क, जयपुर को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो की न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाईमाधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2016/2183 दिनांक 16.08.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल[illegible]1864/एफट/[illegible]740 — दिनांक 01.08.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ 20—20 Butter Cookies (Parle) मिसब्राण्ड प्रकृति का पाया गया हैं। जॉ रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ 20—20 Butter Cookies (Parle) 45 ग्राम पैकिट का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:22:06 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

(2) (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त सं0 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित तथा अभियुक्त सं0 3 व 5 स्वयं उपस्थित। अभियुक्त सं0 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्तगण ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ 20–20 Butter Cookies (Parle) 45 ग्राम पैकिट का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में जुर्माने योग्य अपराध है।

अभियुक्तगण सं0 1 व 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विक्रय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से उक्त नमूने की कार्यवाही की गई। अभियुक्त सं0 1 व 2 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ 20–20 Butter Cookies (Parle) 45 ग्राम पैकिट का निर्माण नहीं किया जाता है। अभियुक्त द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अभियुक्त सं0 3 लगायत 5 से क्रय किया जाता है तथा उक्त खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो अभियुक्त सं0 3 लगायत 5 की जिम्मेदारी है, साथ ही अभियुक्त सं0 1 लगायत 2 के अधिवक्ता ने नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

अभियुक्त सं0 3 व 5 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना प्राप्त करने में सही प्रकिया नहीं अपनाई है। उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना प्राप्त करने एक अन्य कार्यवाही करने में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दबाब का प्रयोग किया है जो न्यायहित में अनुचित है। जबाबदाता उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। इसमें कथन है कि एकत्रित किये नमूने को अन्यत्र प्रयोगशाला में जांच के लिये भेजा जिससे सही तथ्य एवं वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष आ सके। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ की पूर्ण विवेचना स्पष्ट नहीं की गई है। इसलिये भी उक्त खाद्य रिपोर्ट की वास्तविकता पर संशय उत्पन्न होता है। उक्त त्रुटिपूर्ण एक अनुचित कार्यवाही के आधार पर जबाब दाता को दण्डित नहीं किया जा सकता है, साथ ही अभियुक्त सं0 3 व 5 ने उक्त कार्यवाही निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:22:06 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएम 1854/ /2016/2740 – दिनांक 01.08. 2016 निम्नानुसार है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

मु.नं0 53/18 (2018/00124) सरकार बनाम सोनू गुप्ता व अन्य

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY, JAIPUR,
(RAJASTHAN).
FORM-B
Report of the Food Analyst
[Refer Regulation (ii) of 2.3.1]

Date:- 01-08-2016

Report No. L.S. 1854/ Act / 2016 / 2740

Certified that I Pankaj Kumar, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Ved Prakash Puriya, Food Safety Officer O/O The Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur, a sample of "20-20 Butter Cookies (Parle)" bearing Code number and Serial number II-946 of Designated Officer cum the Chief Medical & Health Officer of Sawai Madhopur area on 26-05-2016 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals no. 64 were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed enve lope by hand.

I found the sample to be "Cereal and Cereal Products" falling under Regulation No. 2.4.15.1 Biscuit of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 04-07-2016 to 11-07-2016 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) Sample description:-Sample is in a sealed and intact pet jar having 5 original company packed of 45 gm.
(2) Physical appearance: - Light brown coloured rectangular shaped biscuit
(3) Label: -

Brand name	: - 20-20 Butter Cookies Parle. FSSAI No. 10012013000164
Batch No.	: - A18CB.
Date of Mfg. / Pkg.	: - 3/16
Best before	: - 6 months from packaging.
Symbol for Veg. /Non Veg	: - Green symbol given.
Nutritional information	: - Given.
Ingredients	:- Wheat Flour, Sugar, Edible Vegetable Oil, Contravene

Regulation 2.2.2(2)(c) of Food Safety &Standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011 Invert Sugar Syrup, Milk Solids, Raising Agents [(503(ii), Baking Powder], Salt, Butter (0.3%), Emulsifier [Diacetyltartric and Fatty Acid Ester of Glycerol of Edible Vegetable Oils] and Dough Conditioner [123] Contains Added Flavour (Artificial Flavouring Substances-Butter)

Name & Address of Mfr. / Pkr.: - Ajmer Food Products Pvt. Ltd, F-65-66, Indl. Area, Parbatpara, RJ. -305002

SL No.	Quality Characteristics.	Name of the method of the test used.	Results	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Ash insoluble in dilute Hydrochloric acid (on dry basis).	Manual of method of analysis of food by D.G.H.S. New Delhi.	0.03%	Not more than 0.1%
2.	Acidity of extracted fat as Oleic acid.	----do------	0.16%	Not exceeding 1.5%
3.	Test for added sugar.	----do------	Positive.	Positive.
4.	Artificial sweetener Saccharin.	----do------	Absent.	As per Regulation No.3.1.3 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
5.	Added colouring matter.	----do------	Absent	As per Regulation No. 3.1.2 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.

Opinion-The sample of "20-20 Butter Cookies (Parle)" bearing Code No. and Sr. No. II-946 of Designated Officer Cum the Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

Signed this 01st day of August 2016

Food Analyst
FOOD ANALYST
RAJASTHAN, JAIPUR

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
The Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur.

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY CUM
The Director (P.H.), Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:22:06 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट [illegible] किया गया खाद्य पदार्थ 20–20 Butter Cookies (Parle) 45 ग्राम मिसब्राण्ड प्रकृति [illegible] होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु.नं0 53/18 (2018/00124) सरकार बनाम सोनू गुप्ता व अन्य

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ 20–20 Butter Cookies (Parle) 45 ग्राम मिसब्राण्ड प्रकृति का विकय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत अभियुक्त सं0 1 लगायत 3 को पृथक–पृथक रूप से जुर्माना राशि 15,000–15,000 रूपये (अक्षरे–पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये) कुल पैतालिस हजार तथा अभियुक्त सं0 4 लगायत 5 को पृथक–पृथक रूप से जुर्माना राशि 25,000–25,000 रूपये (अक्षरे–पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) कुल पचास हजार संयुक्त कुल जुर्माना राशि 95,000 रूपये (अक्षरे–पिचयानवे हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवंअतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 15:22:06 IST
Reason: SelfAttested